# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| हरिशंकर वगै. बनाम मन्ना<br>मु.नं.– 45/23 किस्म – T.I. | |

9.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01.01.26 को पेश हो।

01.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.01.26 को पेश हो।

27.1.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.02.26 को पेश हो।

10.2.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.2.26 को पेश हो।

27.2.26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्र.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 45/2023 | 11.08.2023 | 27.02.2026 |

**बउनवान**

1. हरिशंकर पुत्र राधेश्याम, निवासी रसीदपुर, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. दयाचन्द पुत्र राधेश्याम, निवासी रसीदपुर, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
3. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम, निवासी रसीदपुर, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. रामअवतार पुत्र राधेश्याम, निवासी रसीदपुर, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

**..सायलान/प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. मन्ना देवी पत्नी रामश्री, निवासी वीरासना, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. रत्तीराम पुत्र कल्लर मीना, निवासी फूटडी राजगढ, तहसील महवा जिला दौसा।
3. काडू बना पुत्र नामालुम, निवासी मण्डावर, तहसील मण्डावर जिला दौसा।
4. नन्दराम पुत्र रमेश चन्द बैरवा, निवासी रामगढ, तहसील महवा जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।
6. उपपंजीयक मण्डावर।

**..गैरसायलान/अप्रार्थीगण**

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री भुवनेश त्रिवेदी।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री मधुसूदन सैनी, श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

## निर्णय

**1.** प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की विवादित आराजी ग्राम पालौदा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा के खसरा सं. 125 रकबा 0.46 में स्थित है जिसके प्रार्थीगण बुजुर्गान के समय से खातेदार व काश्तकार रहे हैं तथा बुजुर्गान से ही खातेदारी राईटस का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने बुजुर्गान से खेत की चार दीवारी व कच्ची डोल बना रखी है। उसी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। हमारे पडौसी काश्तकार गिर्राज बलाई अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे हैं, बीच की डौल करीब 100 वर्ष पूर्व की है अब गैरसायलान ने उक्त भूमि में से कुछ भूमि खरीद ली है जिसका पहले खातेदार गिर्राज, बृजमोहन आादि था, उनके समय से ही बीच की डौल बनी हुई है। दिनांक 10.08.2023 को प्रातः 7–7:30 गैरसायलान सभी एक राय होकर सायलान के खसरा सं. 125 के तरफ उत्तर में सभी गैरसायलान के करीब 10 फुट खेत में भीतर आर–पार लट्ठ के बल पर जबरदस्ती नींव खोद दी। सायल ने मना किया तो सभी ने एकराय होकर सायल दया के साथ खते में घुसकर मारपीट की, ऐलानिया कहा कि तुम्हारे खेत पर लट्ठ के बल पर कब्जा कर रहे हैं, तुम पर बने सो कर लेना। फोन को छीनकर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

तोड दिया, नींव खोदकर भर दी जिसकी सूचना पुलिस चौकी रसीदपुर पर दी तो उन्हों काम बन्द कराया। प्राईमाफैसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबि है। गैरसायलान अपनी उक्त कुचेष्ठा में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी सायलान अपने कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि से हमेशा–हमेशा के लिए बेदखल हो जावेंगे तथ अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जावेंगे। इसलिए दौराने दावा यह प्रार्थना पत्र पेष करन लाजिम आया। अतः निवेदन है कि ताफैसला वादपत्र इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा गैरसायलान को पाबंद फरमाया जावे कि उक्त विवादित आराजी में सायलान को उनके कब्जे एवं स्वामित्व की कृषि भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा पैदा नहीं करें ए नींव आदि नहीं खोदे, किसी प्रकार का कच्चा– पक्का निर्माण आदि नहीं करें, पत्थर आदि को गैरसायलान स्वयं के खर्चे से हटावे मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 11.08.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 125 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बेजा मजाहमत मदाखलत पैदा न तो स्वयं करेंगे, ना ही किसी अन्य से करावें एवं किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नहीं करें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01 लगायत 06 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया। प्रार्थी सं. 02 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी 1908 इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि है। प्रार्थी का बुजुर्गान से उक्त भूमि पर कब्जा है प्रार्थी ने भूमि की चारों तरफ से कच्ची डोल बना रखी है तथा 100 वर्षों से मौके पर डोल बनी है। प्रार्थीगण की भूमि के पास गिर्राज बलाई की भूमि है जिसको अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने खरीदा है। दिनांक 10.08.2023 को उक्त भूमि की डोल गैरसायलान ने तोड दी। उत्तर दिशा की डोल की ओर 10 फीट अन्दर खेत में नींव खोद दी, पत्थर आदि पटक दिया, मना किया तो मारपीट को आमादा हो गये। उक्त मामले की एफआईआर नंबर 244/2023 थाना मण्डावर में धारा 323, 341, 427, 447 (34) भा.द.सं. 1860 में दर्ज करायी जिसमें अनुसंधान जारी है। प्रार्थीगण के कब्जे एवं स्वामित्व की भूमि में अवैध रूप से खोदी गयी, नींव व डाले गये पत्थर आदि को प्रार्थी के खेत से हटवाने के तहसीलदार मण्डावर व एस.एच.ओ. मण्डावर को निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत अंकित किये है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी की कोई डोल को नहीं तोड़ा है और नाही अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी के अन्दर कोई नींव खोदी है। प्रार्थी /उत्तरदाता आराजी खसरा नम्बर 124/1 रकबा 0.17 हैक्टे. की रिकार्डेड खातेदार है जिसका प्रार्थी/उत्तरदाता द्वारा दिनांक 08.06.2023 को तहसीलदार मण्डावर द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 124/1 की दक्षिणी सीमा पर खसरा नम्बर 125 में 8 मीटर दबी हुई है। अप्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी पर ही काबिज है। अप्रार्थी का प्रार्थी की आराजी पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

कोई कब्जा नहीं है। प्रार्थी द्वारा गलत मनगढन्त कहानी बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र 151 बाबत् तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट अनुसार, ग्राम पालौदा के आराजी ख.स. 125 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दयाचंद, दिनेश कुमार, रामावतार, हरिषंकर पुत्र राधेष्याम जाति ब्राह्मण निवासी रसीदपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर के प्रकरण स. 45/23 हरिशंकर बनाम मन्ना देवी वगै. में दिनांक 11.08.2023 द्वारा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है। वर्तमान में खसरा सं. 124, 125 की मौके पर मेड बनी हुई है, उसमें खसरा सं. 125 की तरफ नींव खोदकर पत्थर डाले हुए है। उक्त विवादित खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है परन्तु वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश होने कारण सीमाज्ञान किया जाना संभव नहीं है। स्थगन आदेश हटने के उपरांत सीमाज्ञान कर ही वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। खसरा सं. 125 की दक्षिणी सीमा राजस्व ग्राम राजगढ तहसील महवा से लगी हुई है। इस प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारों की सुनवाई की जाकर इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 11.08.2023 में आंशिक शिथलन प्रदान किया जाकर खसरा सं. 124, 125 के सीमाज्ञान किये जाने की हद तक आदेष प्रदान किये गयें।

4. प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहत कर सकेगा।*

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक व्यादेश के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजी के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। विवादित आराजी पर वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी या निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों के उपयोग पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। विवादित आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

## आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम पालौदा, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 125 रकबा 0.46 हैक्टे. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 11.08.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के वर्तमान मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थीगण के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)